(11)

संख्या–ई–8–305/ दस–06– /2006

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 लखनऊः दिनांक 02 मार्च, 2006

विषयः आवासीय एवं अनावासीय भवनों का मानकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

विभागीय आवासीय एवं अनावासीय भवनों का मानकीकरण न किये जाने के कारण टाइम ओवर–रन्स/कास्ट ओवर–रन्स होते हैं जिनके कारण शासन पर अतिरिक्त व्ययभार आता है तथा परियोजना निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो पाती है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी संबंधित विभाग अपने विभाग से संबंधित भवनों के मानकीकरण का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। इस हेतु प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से भवनों की डिजाइन तैयार करायेंगे तथा उस पर प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। भवनों के मानकीकरण के उपरान्त उनकी लागत शेड्यूल आफ रेट्स के बदलने पर स्वतः पुनरीक्षित मानी जायेगी। जिन भवनों के मानक पूर्व से निर्धारित हैं उनके सम्बन्ध में भी आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित करते हुए व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव वित्त।

संख्याः ई–8–305 ()/दस–2006–तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2– मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा।
3– प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उत्तर प्रदेश।
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड।
5– आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
6– प्रबन्ध निदेशक, समाज-कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड।

आज्ञा से,

(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव वित्त।